[27/2/2026]

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल

प्रश्न सं. [क्र. 875]

Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 07552554082 Fax 0755-2554080
Email:- singh29@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक / यां.प्र. / 07–5 / 2026 / 2671   भोपाल, दिनांक 13 / 2 / 2026

प्रति,

उप सचिव,
म.प्र. शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

विषयः– नगर परिषद सेमरिया के संबंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न क्रमांक 1329 के संबंध में।

संदर्भः– म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश क्रमांक एफ 5/1/1/0153/2025/18–3 भोपाल दिनांक 28.11.2025

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें नगर परिषद सेमरिया के संबंध में तारांकित प्रश्न क्रमांक 1329 के प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में अवैध निर्माण पर जारी पत्र क्रमांक 61 सेमरिया दिनांक 10.01.2022 द्वारा जारी भवन अनुज्ञा की जांच के संबंध में नगर परिषद सेमरिया से संबंधित अभिलेख का परीक्षण उपरांत संयुक्त जांच प्रतिवेदन तैयार कर संलग्न है।

अतः संलग्न जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(जीतेन्द्र सिंह)	(भविष्य खोब्रागडे)	(अमित गजभिये)
कार्यपालन यंत्री	उप संचालक	संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल	मध्यप्रदेश भोपाल	भोपाल / रीवा

13/2/26

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल.

AD(EA)

13.2

347
16-2-26

No. 582 /ADD (RK)
Date 13/02/26

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopa

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 07552554082 Fax 0755-2554080
Email:- singh29@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

//जांच प्रतिवेदन//

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5/1/1/0153/2025/18–3 दिनांक 28.11.2025 से रीवा जिले की नगर परिषद सेमरिया के संबंध में विधानसभा सत्र जुलाई–अगस्त 2025 में पूछे गये तारांकित प्रश्न क्रमांक 1329 में उल्लेखित विषयों पर जांच के लिये निम्नानुसार समिति गठित की गई है :–

क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम एवं पदस्थापना स्थल
1	श्री अमित गजभिये	संयुक्त संचालक	नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल/रीवा
2	श्री भविष्य खोब्रागडे	उप संचालक	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल
3	श्री जीवेन्द्र सिंह	कार्यपालन यंत्री	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल

उपरोक्त समिति द्वारा नगर परिषद सेमरिया में अवैध निर्माण पर पत्र क्रमांक 61 दिनांक 10.01.2022 से भवन अनुज्ञा जारी की गई जिसके संबंध में संबंधित अभिलेख एवं स्थल का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

1. नगर परिषद सेमरिया में भवन अनुज्ञा (प्रशमन) की स्वीकृति हेतु श्री भागीरथी शुक्ला पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला, वार्ड–13 द्वारा भवन अनुज्ञा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक REW/SEM/0390/021/2021 से खसरा क्र. 427/2/KA/3 के क्षेत्रफल 460 वर्गमीटर में किये गये निर्माण (विस्तार) की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया गया।
2. नगर परिषद सेमरिया द्वारा श्री भागीरथी शुक्ला पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला, वार्ड–13 के प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पर प्रकरण का परीक्षण कराया जाकर कार्यालय, नगर परिषद सेमरिया, जिला–रीवा म.प्र. के पत्र क्रमांक 61 दिनांक 10.01.2022 से श्री भागीरथी शुक्ला पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला, वार्ड–13 को ऑनलाईन अनुज्ञा में लगाये गये नक्शे से भौतिक वस्तुस्थिति भिन्न होने के कारण टीप लगाया जाकर प्रकरण वापस भेजे जाने के संबंध में सूचित किया गया।
3. भवन अनुज्ञा पोर्टल ए.बी.पास (ABPAS-II) पर लंबित फाईलों की समय–सीमा 31 दिवस से अधिक हो जाने से नगर परिषद सेमरिया द्वारा पत्र क्रमांक 211 दिनांक 28.02.2025 से संबंधित कन्सलटेन्ट को सूचना पत्र जारी किया जाकर ऑफिशियल कन्सोल में प्रकरण स्वीकृत योग्य नहीं होने से आवेदन देकर फाईलों को निरस्त कराने के निर्देश जारी किये गये।
4. उपरोक्त के पश्चात् संबंधितों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से नगर परिषद सेमरिया ने पुनः पत्र क्रमांक 623 दिनांक 07.07.2025 से संबंधित कन्लसटेन्ट को द्वितीय नोटिस जारी की गई।
5. उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात भी संबंधितों द्वारा नगर परिषद में ना तो कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई ऑनलाईन संशोधन किया गया, तो नगर परिषद सेमरिया द्वारा पत्र क्रमांक 964 दिनांक 10.10.2025 से निरीक्षण पश्चात् भवन की ऊँचाई 12.5 मी. से अधिक पाई जाने से कार्यालय टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग से एफएआर बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्राप्त किया जाकर ABPAS-III में आवेदन करने की सूचना श्री भागीरथी शुक्ला पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला, वार्ड–13 को दी गई थी।

6. श्री भागीरथी शुक्ला पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला, वार्ड–13 द्वारा कराये गये भवन निर्माण का छायाचित्र प्राप्त किया गया, छायाचित्र संलग्न है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री शुक्ला द्वारा भवन निर्माण में म.प्र. भूमि विकास नियम–2012 का पालन नहीं किया गया है। साथ ही नगर परिषद सेमरिया के श्री बालगोविन्द चतुर्वेदी, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, द्वारा भी वर्तमान तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः प्रकरण में नगर परिषद सेमरिया, जिला–रीवा के श्री बालगोविन्द चतुर्वेदी, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी उत्तरदायी है। साथ ही नियम विरूद्ध निर्माण के लिये श्री भागीरथी शुक्ला पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला, वार्ड–13 के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है।

(जीवेन्द्र सिंह)
कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

(भविष्य खोब्रागडे)
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

(अमित गजभिये)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल / रीवा